UPLK010057492019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 69/2019

सरकार बनाम लवकुश वर्मा

अ0सं0 367/2013
धारा—323,325,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)10 एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
थाना—आशियाना, लखनऊ।

20—09—2025

मुकदमा पुकारा गया। अभियुक्त लवकुश वर्मा मय अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष अपने अधिवक्ता के साथ उपस्थित हैं।

न्यायालय के समक्ष विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने संक्षेप में उस साक्ष्य का कथन किया, जो दौरान विचारण अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाना है।

अभियोजन एवं अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के उपरान्त मैं इस मत का हूँ कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323, 325, 504, 506 भा0द0सं0 तथा धारा 3(1)10 एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट के अधीन आरोप विरचित किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया और विचारण की याचना की।

पत्रावली तदैव साक्ष्य अभियोजन हेतु दिनांक 30.10.2025 को पेश हो।

विशेष न्यायाधीश (एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट),
लखनऊ।

UPLK010057492019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट, लखनऊ ।

विशेष परीक्षण सं0 69/2019

सरकार बनाम लवकुश वर्मा

अ0सं0 367/2013
धारा—323,325,504,506 भा0द0सं0 तथा
धारा 3(1)10 एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट,
थाना—आशियाना, लखनऊ।

आरोप

मैं, विवेकानन्द शरण त्रिपाठी, विशेष न्यायाधीश (एस0सी0—एस0टी0 ऐक्ट), लखनऊ एतद्द्वारा आप अभियुक्त लवकुश वर्मा को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः—

प्रथमः यह कि दिनांक 16.11.2013 समय शाम लगभग 09.00 बजे थाना आशियाना जिला लखनऊ सीमान्तर्गत कनिष्ठ छात्रावाश, बी0बी0ए0यू0 में आप अभियुक्त लवकुश वर्मा द्वारा वादी मुकदमा राम करन को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त लवकुश वर्मा द्वारा वादी मुकदमा राम करन को मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

तृतीयःयह कि उपरोक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर आप अभियुक्त लवकुश वर्मा द्वारा वादी मुकदमा राम करन को भद्दी—भद्दी गालियां देकर साशय प्रकोपित किया कि वह लोकशान्ति भंग करें। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप अभियुक्त लवकुश वर्मा द्वारा वादी मुकदमा राम करन को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

पंचमःयह कि उपरोक्त तिथि, समय व स्थान पर आप लवकुश वर्मा ने अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा राम करन को जातिसूचक गालियां देकर अपमानित किया। इस प्रकार आप लोगों ने एक ऐसा अपराध किया, जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा–3(1)(X) के अधीन दण्डनीय है और मेरे प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप हेतु आप का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 20–09–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127

अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया तथा विचारण की याचना की।

(विवेकानन्द शरण त्रिपाठी)
दिनांकः 20–09–2025 विशेष न्यायाधीश एस0सी0–एस0टी0 ऐक्ट,
लखनऊ।
जेओ कोड–यूपी06127